न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 13 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांट

1. गणेशा पुत्र श्री हरलाल जी जाति रबारी निवासी हेमवास तहसील सेडवा जिला बाड़मेर

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.वीला पुत्र अचला
2.गणेशा पुत्र अचलाराम
3.वेसरा पुत्र खीमा
4.पीथा पुत्र खीमा
5.करसन पुत्र खीमा
6.मेतों पत्नी खीमा जातियान रबारी निवासी हेमावास तहसील सेडवा, जिला बाड़मेर
7.तगा पुत्र मोडा
8.रामा पुत्र मोडा
9.संकरा पुत्र मोडा
10.भूरी पत्नी हरकेन
11.कृष्ण पुत्र हरलाल
12.सांवलाराम पुत्र महेन्द्रा
13.मसरूराम पुत्र महेन्द्रा
14.लीलोदेवी पत्नी हरचंद
15.वदूदेवी पत्नी महेन्द्रा जातियान रबारी
16.हमीराराम पुत्र तुलछाराम जाति मेघवंशी सभी निवासी हेमावास, तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर
17.राजस्थान राज्य तहसीलदार सेड़वा
18.शाखा प्रबंन्धक बीसीसी बैक सेडवा
19.शाखा प्रबन्धक एसबीबाई बैक सेडवा

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी सेड़वा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 28 / 2020 बअनवान वीला वगै. बनाम तगा वगै. में पारित आदेश दिनांक 31.08.2021।

उपस्थित

1. वकील श्री बाबुलाल पूनिया अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री राणाराम गौड़ एवं श्री पवन धारीवाल रेस्पोडेण्ट संख्या 01 से 06 की ओर से।
3. वकील श्री दीक्षितकुमार बोथरा रेस्पोडेंट संख्या 08,09 व 16 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 01.04.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हस्तगत आवेदन पेश किया जिसमें प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 9 रकबा 107.02 वीघा ग्राम हेमावास में आई हुई है जिसके लिये कोई रास्ता रेकर्ड में नहीं है प्रार्थीगण अपने खेत से खसरा संख्या 06 व 133 / 7 में से होकर सड़क

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

मार्ग से जाते है जो कदमी रास्ता है उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर खुलवाने हेतु निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदन को दर्ज कर अपीलांटगण को किसी भी प्रकार के नोटिस जारी नहीं किये गये। अब उत्तरदातागण ने अपीलांट को नुकशान पहुंचाने के लिए व उनका खेत खराब करने के लिए खेत के बिचो बीच नया रास्ता निकालने के लिए प्रस्तावित किया गया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर अपीलाधीन आलोच्य आदेश कैम्प कोर्ट में पारित किया गया जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित तीनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस मौका फर्द के अनुसार अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। उपरोक्त मौका रिपोर्ट में कही पर भी वैकल्पिक रास्ता होना अंकित नहीं किया है। जबकि रेस्पोडेंट के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद भी अपीलांटगण को परेशान करने के लिए हस्तगत आवेदन पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन जिस मौका रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए पारित किया उक्त मौका रिपोर्ट अपीलांट की अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से तैयार की गई। प्रस्तावित रास्ते से अपीलांट की खातेदारी भूमि को दो टुकड़ों मे विभाजित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश अपीलांटगण की अनुपस्थिति में पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय क सिद्धांत के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना तथा निकटतम रास्ते के विकल्प का अभाव सिद्ध किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए जो रास्ता प्रस्तावित किया गया उसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया

राजस्व अपील अधिकारी
पाली

गया। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। इसकी पहली बार जानकारी अभी दिनांक 07.01.2022 को पटवारी हल्का फागलिया मौके पर आया एवं बताया कि आपके खेत में से रास्ता काटने का उपखण्ड अधिकारी सेडवा का आदेश है जिसके लिय जमीन खाली करो। तब अपीलांट ने सेडवा जाकर अपीलाधीन आदेश का पता करवाकर दिनांक 11.01.2022 को नकल के लिये आवेदन करवाया जिस पर उसी दिन नकल तैयार कर दी गई जिसको अपलार्थी ने अपने अधिवक्ता को बाडमेर लेकर बताई तब अधिवक्ता ने पढकर सुनाया तब अपीलर्थी को उसके खेत में से बिचो रास्ता निकालने की जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांटगण द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटगण की अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से पारित की गई। हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। कोविड–19 महामारी को ध्यान में रखते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार किये जाने के आदेश दिये जाते है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस मौका फर्द को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया उक्त मौका फर्द को तैयार करते वक्त अपीलांट को किसी प्रकार की कोई सूचना/नोटिस व्यक्तिगत तामील नहीं करवाये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश अपीलांटगण की

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए अपीलांट की खातेदारी भूमि को दो टुकड़ों मे विभाजित किया गया जो स्वीकार्य नहीं है। राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम, 1955 की धारा 251ए किसी खातेदार की जोत के टुकड़े कर असुविधा पैदा करने की अनुमति नहीं देता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किये बिना जल्दबाजी में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार कर प्रकरण को रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 28/2020 बअनवान वीला वगै. बनाम तगा वगै. में पारित आदेश दिनांक 31.08.2021 को अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंचने के लिए निकटतम दूरी वाला सेढे–सेढे रास्ता दिये जाने हेतु वाद समुचित सुनवाई एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 की धारा 251 ए को प्रभाव देने के लिये बनाये गये नियम 69 एवं 70 की पूर्णतया पालना करते हुये अधिकतम तीन माह में विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अपीलाधीन आदेश की पालना में प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट द्वारा रास्ते के लिए प्रस्तावित भूमि की क्षतिपूर्ति राशि जमा करवाई गई उसको आगामी आदेश में समायोजित किया जावे। उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.05.2022 को उपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 01.04.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर